FROM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26

बज अदालत बायतु मुकाम

तहसीलदार बायतु बनाम पुनमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 55 सन 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/3/2017	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री तहसीलदार बायतु ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 177 R.T. Act राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/3/2017 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/03/17	पत्रावली आज पेश हुई। पैरोकार तहसीलदार बायतु उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/04/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
03/04/17	पैरोकार तहसीलदार बायतु उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उभय पक्षकारों को बयान लेने हेतु तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते दिनांक 20/04/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

[illegible]

पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] उपस्थित। पीठासीन अधि. [illegible] कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली [illegible] दिनांक /[illegible]/17 को पेश हो। [illegible]

[illegible]

प्रार्थी पैरोकार तहसीलदार बायतु उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने साक्ष्य में [illegible] के बयान करवाये बयान लिये जाकर [illegible] शामिल पत्रावली किये। प्रार्थी साक्ष्य और पेश नहीं करना चाहते है। प्रार्थी साक्ष्य बन्द किये जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 04/09/17 को पेश हो।

04/09/17

प्रार्थी पैरोकार तहसीलदार बायतु उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी पैरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 177 RTAct का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगणों की सरहद मौजा भोजासर के खेत खसरा नम्बर-534/143 रकबा- 2.12 बीघा व मौजा-सवाऊ की ढाणी के खेत खसरा नम्बर-452/144 रकबा- 12.00 बीघा में खातेदारी भूमि स्थित है अप्रार्थीगण ने राज्य सरकार की अनुमति एवं वैधानिक अधिकार के रकबा- 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर बिना प्रार्थी के ध्यान में लाये निर्माण कार्य एवं कब्जे करवा लिये अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का किस्म के विरुद्ध उपयोग किया है कास्तकारी शर्तों का उल्लंघन किया है अप्रार्थीगण 1955 RTAct की धारा 177 का दोषी है अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त भूमि कब्जे सरकार की जाय करने का निवेदन किया। प्रार्थी की दरख्वास्त दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण बावजूद इत्तला के गैर हाजिर रहने से विप्रार्थीगणों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के संबंध में हल्का पटवारी के बयान करवाये तथा राजस्व अभिलेख पेश किये गये। हमने प्रार्थी पैरोकार तहसीलदार बायतु की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया। न्यायालय के समक्ष PW-1 हल्का पटवारी के बयान का अवलोकन किया मौका रिपोर्ट दिनांक-8/02/2016 का अवलोकन किया गया एवं अध्ययन किया गया। आंशिक नक्शा मिन्तबार का अवलोकन व अध्ययन किया गया। उक्त खसरों के आंशिक भाग पर सामाजिक मौजूदा प्रतिलिपि जमाबंदी की सत्य प्रति संवत 2070 से 2073 व 2071 से 2074 के मुताबिक सरहद मौजा भोजासर के खेत खसरा नम्बर-534/143 रकबा-2.12 बीघा व मौजा सहूओं की ढाणी के खेत खसरा नम्बर-452/144 रकबा-12.00 बीघा कुल रकबा-14.12 बीघा भूमि में पूना पिता जगू, मोटा पिता जगू, चुतरा पिता जगू, जैसाराम, गजाराम, डालूराम पिसरान मोतीराम जाति-जाट निवासी-भोजासर व खुमा, लिखमा, डालू पिसरान केसराम जाति-जाट निवासी-सहूओं की ढाणी या. दर खातेदार दर्ज है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर होता है। कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में विप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि है तथा जिसकी किस्म बा.दो. दर्ज है। विप्रार्थीगणों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि में कृषि से भिन्न कार्य किया है इसकी पुष्टि हल्का पटवारी के बयानों से होती	

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	होती है। विप्रार्थीगणों ने आज्ञाकारी शर्तों का उल्लंघन किया है। इस कारण विप्रार्थीगणों की खातेदारी बहाल किया जाना विधी अनुसार नहीं है। अतः विप्रार्थीगणों की सरहद मौजा भोजासर के खेत खसरा नम्बर-534/143 रकबा-2.12 बीघा में से 0.17 बीघा व मौजा-सहमों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर-452/144 रकबा-12.00 बीघा में से 0.16 बीघा कुल रकबा-2.13 बीघा भूमि राज्य सरकार के नाम घोषित की जाती है। प्रार्थी पैरोकार तहसीलदार बायतु को निर्देश दिये जाते है कि 2.13 बीघा भूमि से विप्रार्थीगणों को मौके से बेदखल कर भूमि का कब्जा प्राप्त करें तथा राजस्व अभिलेख में सरकारी दर्ज करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु [सहायक कलक्टर (SDO) बायतु] आदेश आज दिनांक 04/09/17 [सहायक कलक्टर (SDO) बायतु]	